

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर
क्रमांक - ई-18/एम/जोन-जयपुर/2019/ दिनांक :

आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.15(1)एफडी/रूल्स/2017 जयपुर दिनांक 30 10 2017 एवं 09.12.2017 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित कर्मचारियों को निम्न प्रकार सेवा अवधि पूर्ण किये जाने पर एसीपी स्वीकृत की जाती है :-

क्र.स.	नाम कर्मचारी मय पदस्थापन स्थान	प्र0नि0 तिथि	पूर्ण सेवावधि	एसीपी स्वीकृति तिथी	पे मेट्रिक्स लेवल
1	श्री हरि प्रसाद सैन, वरिष्ठ सहायक, सीकर।	28 09 1991	27 वर्ष	28.09 2018	एल-11
2	श्री अजय कुमार शर्मा, वरिष्ठ सहायक अलवर।	26 02 1992	27 वर्ष	26 02 2019	एल- 11

उपरोक्त कर्मचारियों का वेतन निर्धारण एसीपी स्वीकृति के फलस्वरूप सबन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा नियमानुसार किया जावेगा।

(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें

राज0 जयपुर

दिनांक 07/03/19

क्रमांक - ई-18/एम/जोन-जयपुर/2019/297

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

- 1 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीकर/अलवर।
- 2 उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प.क, अलवर।
- 3 चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, लोसल, सीकर।
- 4 सबन्धित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
- 5 प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करे।
- 6 आदेश/निजी पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें

राज0 जयपुर